न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 85 / 2022–23

मनोहर केवट —बनाम्— खिरिया देवी

—:संशोधित आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। जिला अवर निबंधक, धनबाद के पत्रांक– 2533, दिनांक– 18.08.2023 के साथ संलग्न कर इस अभिलेख में दिनांक– 22.06.2023 को पारित आदेश की अभिप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी है तथा सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

अभिलेख में न्यस्त आवेदन दिनांक– 20.09.2022 तथा वकालतनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री रामवचन सिंह, अधिवक्ता, पंजीयन सं0– 1627 / 1993 की ओर से केवट जाति (पिछड़ी वर्ग) के विक्रेता तथा चमार जाति (अनुसूचित जाति वर्ग) के क्रेता के बीच खरीद–बिक्री किये जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन में विक्रेता एवं क्रेता के अलग–अलग वर्ग के रहने का तथ्य छिपा कर आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं आदेश प्राप्त कर लिया गया है, जो नियम के प्रतिकुल है।

अतः गलत तथ्यों पर आधारित आवेदन के आधार पर पिछड़ी जाति के वर्ग के विक्रेता को भूमि की खरीद–बिक्री अनुसूचित जाति वर्ग के क्रेता के साथ करने के संबंध में क्रेता के पक्ष में प्राप्त किये गये आदेश दिनांक– 22.06.2023 को वापस लिया जाता है।

आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित,

26/8/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

26/8/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 14:35:59 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner